

## राजस्थान सरकार

## कार्यालय आयुक्त, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, उदयपुर

क्र. एफ 5/अभि./सीटीएडी/मंत्री अनुशंषा/2019-20/

दिनांक :

उपायुक्त,  
जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग  
डूंगरपुर।

विषय : पेयजल सम्बन्धित निर्माण कार्यो की संशोधित प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति।

विभागीय पत्रांक 8918-40 दिनांक 01.05.2020 द्वारा निम्नानुसार विभिन्न पेयजल सम्बन्धित निर्माण कार्य की प्रशासनिक स्वीकृति जारी की गई एवं कार्यकारी एजेन्सी पंचायत समिति को नियुक्त किया गया। स्वीकृति के क्रम में श्री गोपीचंद मीणा, विधायक आसपुर द्वारा निम्नानुसार संशोधन चाहा गया।

क्र.स.	पत्र मे वर्णित क्र.स.	कार्य का नाम व स्थान	ग्राम/ग्राम पंचायत	पंचायत समिति	संशोधित किये जानेवाले ग्राम /ग्राम पंचायत/पंचायत समिति
1	2	3	4	5	6
जिला-डूंगरपुर					
1	43	पनघट निर्माण-ट्यूबवेल/पनघट बोरिंग एवं मोटर शिवजी मंदिर के पास टांडा धाणी रामा गोल।	खानन	साबला	ग्राम रामा, ग्राम पंचायत धनेला, पंचायत समिति आसपुर
2	47	पनघट निर्माण-पनघट योजना ओडाफला	बनकोडा	साबला	ग्राम बनकोडा, ग्राम पंचायत बनकोडा, पंचायत समिति आसपुर

अतः माननीय विधायक महोदय की अनुशंषा के क्रम में निम्नानुसार संशोधित प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जारी की जाती है एवं कार्यकारी एजेन्सी पंचायत समिति को नियुक्त किया जाता है।

क्र.स.	पेयजल का नाम व स्थान	ग्रा.प.	पं.स.	प्रशा. स्वीकृति		तकनीकी स्वीकृति	
				क्र/दि	राशि	क्र/दि	राशि
1	2	3	4	5	6	7	8
जिला-डूंगरपुर							
1	पनघट निर्माण-मय ट्यूबवेल ग्राम रामा	धनेला	आसपुर	8918-40 / 01.05.2020	2.50	AEN/ASPUR/ 54/19.01.2021	2.33
2	पनघट निर्माण-मय ट्यूबवेल ग्राम बनकोडा	बनकोडा	आसपुर	8918-40 / 01.05.2020	2.50	AEN/ASPUR/ 53/19.01.2021	2.33
			योग		5.00		4.66

उपरोक्त कार्य हेतु संविधान की धारा 275(1) मद अन्तर्गत पेयजल- शासन की स्वीकृति संख्या-19/2019-20 में प्राप्त राशि रु. 250.00 लाख में से राशि का व्यय करने की स्वीकृति जारी की जाती है।

शर्तें-

- यदि स्वीकृत कार्य अन्य किसी मद/योजना अथवा जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के विभागीय बजट में स्वीकृत/सम्पादित किए जा चुके हो तो सूचित किया जावे। दोहरा व्यय की जिम्मेदारी कार्यकारी एजेन्सी की होगी।
- समय पर निविदाएं आमंत्रित करवाई जावे। कार्य में विलम्ब के कारण यदि लागत में वृद्धि होती है तो कार्यकारी एजेन्सी की जिम्मेदारी होगी।
- राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 एवं संशोधन नियम 2013 तथा सामान्य लेखा एवं वित्त नियम की पालना सुनिश्चित करते हुए कार्य गुणवत्तापूर्वक किया जावे।

4. नलकूप खोदने संबंधी कार्य भू-जल वैज्ञानिक की जल उपलब्धता की रिपोर्ट अनुसार किया जावे।
5. राशि का उपयोग स्वीकृत कार्यों पर ही तकमीना एवं तकनीकी स्वीकृति अनुसार गुणवत्तापूर्वक किया जावे। तकनीकी स्वीकृति के क्रम में निविदा पश्चात जारी कार्यादेश एवं अन्य नियमानुसार राशि से अधिक व्यय इस विभाग की पूर्वानुमति के बिना नहीं किया जावे।
6. कार्यकारी एजेन्सी विद्युत निगम से फोरकास्ट डिमाण्ड नोट प्राप्त करे।
7. राशि हस्तांतरण करने से पूर्व कार्यकारी एजेन्सी से यह लिखित में प्राप्त किया जावे की पनघट योजना में विद्युत कनेक्शन हेतु प्रस्तावित की गई राशि से विद्युत कनेक्शन सम्बन्धि कार्य करवा लिया जायेगा। यदि विद्युत डिमाण्ड नोट की राशि विद्युत कनेक्शन हेतु प्रस्तावित की गई राशि से अधिक प्राप्त हो तो संशोधित स्वीकृति जारी करने के पश्चात् ही कार्य प्रारंभ कराया जावे। निर्माण पश्चात योजना का संचालन एवं संधारण सुनिश्चित किया जावे।
8. निर्माण पश्चात योजना का संचालन एवं संधारण सुनिश्चित किया जावे।
9. सफल जल स्रोत की व्यवस्था सुनिश्चित करने के पश्चात् ही अग्रिम कार्य/व्यय कराया जावे। ट्यूबवेल वेधन/जल स्रोत के असफल होने पर अन्य किसी भी प्रकार का अग्रिम कार्य/व्यय नहीं किया जावे।
10. अनुसूचित जनजाति (एसटी) बस्तियों को लाभान्वित किया जाना सुनिश्चित करे।
11. कार्य पूर्ण होने के पश्चात् यदि कोई बचत रहती है तो कार्य के उपयोगिता व कार्य पूर्णता प्रमाण पत्र के साथ बचत राशि पुनः जनजाति विभाग को लौटाई जावे।
12. कार्य प्रारंभ करने से पूर्व, प्रगति पर एवं पूर्ण होने के पश्चात् फोटोग्राफ विभाग को प्रेषित किये जावे एवं स्वीकृत कार्य की geo-tagging कर soft copy में comm.tad@rajasthan.gov.in पर प्रेषित कराना सुनिश्चित करावे।

sd  
(जितेन्द्र कुमार उपाध्याय) I.A.S  
आयुक्त

क्र. एफ 5/अभि./सीटीएडी/मंत्री अनुशंषा/2019-20/6664-73  
प्रतिलिपी :-

दिनांक : 22/02/2021

1. निजी सचिव, माननीय मंत्री महोदय, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, राज. जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, राज. जयपुर।
3. जिला कलक्टर, डूंगरपुर।
4. वित्तीय सलाहकार, कार्यालय हाजा संविधान की धारा 275(1) मद अन्तर्गत पेयजल-शासन की स्वीकृति संख्या-19/2019-20 में प्राप्त राशि में से राशि रु. 4.66 लाख जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग डूंगरपुर को हस्तांतरित करे।
5. निदेशक, मोनिटरिंग कार्यालय हाजा।
6. कम्प्यूटर शाखा कार्यालय हाजा।
7. विकास अधिकारी पंचायत समिति साबला/आसपुर जिला डूंगरपुर
8. गार्ड फाईल।

(अतिरिक्त आयुक्त (प्रथम))

1, सहेली मार्ग, चेतक सर्कल, उदयपुर (राज.) PABX: 2428721-24 फेक्स : 0294-2428721

ई-मेल : comm.tad@rajasthan.gov.in, Website www.tad.rajasthan.gov.in